

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 859/2013/जयपुर
2. अपील संख्या – 860/2013/जयपुर
3. अपील संख्या – 861/2013/जयपुर
4. अपील संख्या – 862/2013/जयपुर
5. अपील संख्या – 863/2013/जयपुर
6. अपील संख्या – 864/2013/जयपुर

मैसर्स बिट्स एण्ड बाइट्स कम्प्यूसॉफ्ट प्रा०लि०,  
सी-9, जयन्ती मार्केट, एम.आई.रोड, जयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम्  
वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त-प्रथम, जयपुर

.....प्रत्यर्थी

### खण्डपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य  
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पंकज घीया, अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री एन.के.बैद,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 21.05.2018

### निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह छः अपीलें उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा गया है) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 25, 26, 61, 64 एवं 55 तहत पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 08.04.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।
2. समस्त प्रकरणों में विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
3. अपील संख्या 859 से 864/2013 के प्रकरणों का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किये जाने पर पाया गया कि उसके द्वारा LAN Connection Cable (CAT-5, CAT-6) आदि का क्रय-विक्रय किया जाता है। इस संबंध में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "जांच अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा माल का भौतिक सत्यापन किया गया। जांच अधिकारी द्वारा वक्त सर्वेक्षण पाये गये स्टॉक का लेखा पुस्तकों से सत्यापन हेतु अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की, जिसकी जांच करने पर जांच अधिकारी ने पाया कि अपीलार्थी द्वारा LAN Connection Cable (CAT-5, CAT-6) के विक्रय पर 4/5 प्रतिशत से वैट वसूल किया गया है, जबकि उन पर सामान्य कर दर से कर देयता मानते हुए अन्तर कर 8.5, 9 एवं 10 प्रतिशत का आरोपण निम्न तालिकानुसार किया गया तथा अधिनियम की धारा

निरन्तर.....2

55 के तहत ब्याज एवं धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया। अपील संख्या 859/2013 के सम्बन्धित प्रकरण में भौतिक सत्यापन करने पर जांच अधिकारी ने पाया कि 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल व्यवहारी की लेखा पुस्तकों में दर्ज माल से कम है, जिसे जांच अधिकारी ने अघोषित बिक्री मानकर अभियोग बनाकर प्रकरण वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) को स्थानान्तरित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का पक्ष सुनने के पश्चात प्रश्नगत माल CAT-5 & CAT-6 केबल्स पर अन्तर कर, ब्याज एवं धारा 61 व 64 के अन्तर्गत शास्ति का आरोपण किया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उन्होंने अपने संयुक्त आदेश दिनांक 08.04.2013 द्वारा अपील संख्या 289 से 293 को आंशिक रूप से स्वीकार कर धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया एवं कर, ब्याज एवं धारा 64 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को यथावत् रखा। साथ ही अपील संख्या 294 में कर, ब्याज एवं धारा 61 व 64 के अन्तर्गत शास्तियों को यथावत् रखा गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह छः अपीलें कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलीय आदेश का विवरण		कर निर्धारण आदेश का विवरण		कर बोर्ड के समक्ष विवादित			
		अपील संख्या	आदेश दिनांक	वर्ष	आदेश दिनांक	कर	ब्याज	शास्ति धारा-61	शास्ति धारा-64
1.	859/2013	295	08.04.2013	2007-08	09.11.2012	460080	280649	-	500
2.	860/2013	296	08.04.2013	2008-09	09.11.2012	479364	234888	-	500
3.	861/2013	297	08.04.2013	2009-10	09.11.2012	647380	239531	-	500
4.	862/2013	298	08.04.2013	2010-11	09.11.2012	641095	160274	-	500
5.	863/2013	299	08.04.2013	2011-12	09.11.2012	746430	97036	-	500
6.	864/2013	300	08.04.2013	2012-13	09.11.2012	9034	362	18068	500

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
5. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत LAN Connection Cable (CAT-5, CAT-6) अधिनियम की सूची चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 68 से पूर्णतया आच्छादित होने के कारण इस पर कर दर 4/5 प्रतिशत होगी। उन्होंने कथन किया कि LAN Connection Cable (CAT-5, CAT-6) आई.टी. प्रोडक्ट्स हैं, एवं अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा इसका विक्रय किया जाता है तथा इनके बिना कम्प्यूटर का नेटवर्किंग सिस्टम नहीं चल सकता है अतः कर निर्धारण अधिकारी ने इस पर अविधिक रूप से 8.5, 9 एवं 10 प्रतिशत की दर से अन्तर कर का आरोपण किया है। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।
6. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत वस्तु राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सामान्य कर दर से कर योग्य थी एवं यह अधिनियम की अनुसूची पंचम से पूर्णतया आच्छादित होने के कारण 8.5, 9 एवं 10 प्रतिशत की दर से अन्तर कर आरोपित किया





निरन्तर.....3

जाना विधिसम्मत है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1819/2013/जयपुर में पारित निर्णय राशि पैरिफेरल्स प्रा.लि., जयपुर बनाम सीटीओ निर्णय दिनांक 10.04.2018 उद्धरित किया। जिसमें प्रश्नगत माल CAT-5 & CAT-6 केबल को सामान्य कर दर से करयोग्य माना गया है। उन्होंने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित संयुक्त आदेश एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

7. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उल्लेखनीय है कि कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1819/2013/जयपुर राशि पैरिफेरल्स प्रा.लि., जयपुर बनाम सीटीओ, निर्णय दिनांक 10.04.2018 में यह अभिनिर्णीत किया गया है कि CAT-5 & CAT-6 केबल्स "computer peripharals" की श्रेणी में नहीं आते हैं लिहाजा इन पर Schedule-V के अनुसार residual rate से कर दायित्व है। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में भी CAT-5 & CAT-6 केबल्स की कर दर को विवादित किया गया है एवं उक्त बिन्दु ऊपर संदर्भित किये गये कर बोर्ड की खण्डपीठ के निर्णय से पूर्णतया आच्छादित है, अतः यह निर्णीत किया जाता है कि प्रश्नगत माल 'CAT-5 & CAT-6 केबल्स' पर वैट अधिनियम की Schedule-V के अनुसार residual rate से कर की देयता है। इस संबंध में अपीलीय आदेश पुष्टि किये जाने योग्य हैं।
8. विचाराधीन अपील संख्या 864/2013 में अपीलीय आदेश में पुष्टि किया गया शास्ति का बिन्दु भी विवादित है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि धारा 61 के अंतर्गत आरोपित उक्त शास्ति रूपये 18,068/- अपीलार्थी के पास सर्वेक्षण के समय लेखा पुस्तकों में घोषित मात्रा से स्टॉक में कम पाये गये माल पर इसे उचन्ति बिक्री मानते हुए आरोपित की गई है। इस संबंध में प्रत्यर्थी की ओर से वक्त सुनवाई ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया था कि वास्तव में स्टॉक में माल घोषित मात्रा से कम नहीं था, अतः धारा 61 के अंतर्गत उक्त शास्ति आरोपण उचित पाये जाने के कारण अपीलीय आदेश में इसकी पुष्टि किया जाना विधिसम्मत है।
9. उपरोक्त विवेचनानुसार इन अपीलों में विवादित अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की जाती है तथा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।
10. निर्णय सुनाया गया।



21.5.2018

(ओमकार सिंह आशिया)  
सदस्य



(मदनलाल मालवीय)  
सदस्य